न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–दतिया
III/निगरानी/दतिया/भू.रा./2018/1303

प्रभू यादव पुत्र मुलू यादव,
निवासी – ग्राम बडौनी खुर्द,
तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)
-- आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन, द्वारा कलेक्टर
जिला – दतिया (म.प्र.)
-- अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/ स्व0निग/ 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, नायब तहसीलदार वृत वरगांय द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–19/1994–95 पंजीबद्ध कर मौजा पचारा के भूमि सर्वे कमांक 343 रकवा 1.100 हेक्टेयर का व्यवस्थापन विधिवत प्रकिया का पालन करते हुए आवेदक के हित में दिनांक 03.12.1994 को किया गया था।

2. यहकि, उक्त आदेश को कलेक्टर, जिला दतिया द्वारा स्वंमेव निगरानी में लेते हुए प्रकरण कमांक 33/2006–07 पंजीबद्ध कर पारित आदेश दिनांक 26.12.2006 से नायब तहसीलदार वृत वरगांय का आदेश निरस्त किया गया।

3. यहकि, कलेक्टर, जिला दतिया के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रकरण कमांक 174/2006–07 प्रस्तुत किया गया था, जो पारित आदेश दिनांक 06.09.2010 से स्वीकार कर अधीनस्थ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर (1)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/दतिया/भू.रा./2018/1303

प्रभू यादव विरूद्ध म0प्र0शासन

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-04-18.	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2- यह निगरानी कलेक्टर दतिया जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक 12/स्व0निग0/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 28.11.11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 3- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से वहीं तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गये थे जो अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश में अंकित हैं जिन्हें यहां दुहराए जाकर पुन: उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर विचार किया गया है। 4- आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 28-11-11 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ विद्वान कलेक्टर द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश में विधिसंमत एवं सारगर्भित व्याख्या करते हुए आदेश पारित किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने	ध्

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/दतिया/भू.रा./2018/1303

प्रभू यादव विरूद्ध म0प्र0शासन

आक्षेपित आदेश में विस्तृत व्याख्या की गयी है जिसे इस आदेश में पुन: उल्लेखित कर पुनरांकित नहीं किया जा रहा है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी व्याख्या इस आदेश का अंग होगा। अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 27.12.17 से मैं सहमत हूं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य